



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 124-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JULY 24, 2019 (SRAVANA 2, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जुलाई, 2019

क्रमांक पी०एफ०/69 (ल)–2019/17552.– हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या 965, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम 7 मार्च, 1976 से लागू हुए समझे जाएंगे तथा मध्यवर्ती अवधि के दौरान उपनिवेशकों द्वारा भुगतान की गई नवीकरण फीस, जो नियमों में इस संशोधन से अधिक हो सकती है, जब्त हो जाएगी।
- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में, नियम 13 में, खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(i) निदेशक के पक्ष में अनुज्ञप्ति नवीकरण फीस के ऑनलाइन जमा हेतु धनराशि निम्नलिखित रूप में संगणित की जाएगी:—

क प्लाटिड कालोनी के लिए

(क) अनुज्ञप्ति जहां अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र के हिस्से नवीकरण के लिए आवेदन की तिथि को अभिभावी नियम 3 के लिए समापन प्रमाणपत्र नियम 16 के अधीन जारी नहीं किया गया है: में विहित अनुज्ञप्ति फीस का 10 प्रतिशत

(ख) अनुज्ञप्ति जहां अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र के हिस्से आंशिक समापन प्रमाणपत्र प्रदान करते समय अभिभावी दरों के अनुसार नियम 3 में विहित फीस का 2.5 प्रतिशत, उस क्षेत्र पर उद्गृहीत की जाएगी, जिसके लिए आंशिक समापन प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है जबकि शेष क्षेत्र के लिए उप-खण्ड (क) में यथा वर्णित विहित फीस उद्गृहीत की जाएगी।

ख ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक, आईटी/आईटीईएस, मिश्रित भूमि उपयोग उपनिवेशों के लिए

(क) अनुज्ञप्ति जहां अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र के हिस्से नवीकरण के लिए आवेदन की तिथि को अभिभावी अधिभोग प्रमाणपत्र हरियाणा भवन संहिता, 2017 के नियम 3 में विहित अनुज्ञप्ति फीस का 10% पैरा 4.1 के अनुसार जारी नहीं किया गया है:

- (ख) अनुज्ञप्ति जहां अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र के हिस्से के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र हरियाणा भवन संहिता, 2017 के पैरा 4.1 के अनुसार जारी किया गया है: आंशिक अधिभोग प्रमाणपत्र के प्रदान करने के समय अभिभावी दरों के अनुसार नियम 3 में विहित फीस का 2.5 प्रतिशत, फर्श क्षेत्र अनुपात के लिए ऐसे अनुपातिक भू क्षेत्र जिसके लिए, उपनिवेश में अधिकतम अनुमत फर्श क्षेत्र अनुपात की तुलना में आंशिक अधिभोग प्रमाणपत्र दिया गया है, जबकि शेष क्षेत्र के लिए उप-खण्ड (क) में यथावर्णित विहित फीस उद्गृहीत की जाएगी।

ए० के० सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 24th July, 2019

No. PF/69 (L)/2019/17552.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) and with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department, Notification No. 965, dated the 11th January, 2019, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976 namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2019.
- (2) The rules shall deemed to have come into force with effect from 7th March, 1976 and during the intervening period the renewal fee paid by the colonizers, which may become excess with this amendment in the rule, shall be forfeited.
2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, in rule 13, for clause (i) the following clause shall be substituted namely:-
 - (i) Online deposit of licence renewal fees, in favour of Director, for a sum calculated at the rates prescribed as follows:-

A For plotted colony

- | | | |
|-----|--|--|
| (a) | Licence where completion certificate for part of the licenced area has not been issued under rule 16 | 10% of the licence fee prescribed in rule 3 as prevailing on the date of application for renewal. |
| (b) | Licence where completion certificate for part of the licenced area has been issued under rule 16 | 2.5% of the fee prescribed in rule 3 as per the prevailing rates at the time of grant of part completion certificate, shall be levied on area for which the part completion certificate is granted, whereas for remaining area the prescribed fee as mentioned sub-clause (a) shall be levied. |

B. For Group Housing, Commercial, IT/ITes, Mixed Land Use colonies

- | | | |
|-----|--|--|
| (a) | Licence where Occupation certificate for part of the licenced area has not been issued as per code 4.1 of HBC-2017 | 10% of the licence fee prescribed in rule 3 as prevailing on the date of application for renewal |
|-----|--|--|

-
- (b) Licence where occupation certificate for part of the licenced area has been issued as per code 4.1 of HBC-2017 2.5% of the fee prescribed in rule 3 as per the prevailing rates at the time of grant of part occupation certificate, shall be levied on such proportionate land area against the FAR for which the part occupation certificate is granted vis-à-vis maximum permissible FAR in the colony, whereas for remaining area the prescribed fee as mentioned in sub-clause (a) shall be levied.

A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.